


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2024	<p align="center"> प्रार्थना पत्र 14(4) मुकदमा संख्या 13/2018 रामभरोसी वगैरा बनाम सरकार </p> <p> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगवाई गई। किन्तु अधिवक्ता प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 1,2,4,5,6 की पुनः तलबी एवं अप्रार्थी सं03 के कायम मुकामान की तलबी हेतु तलबाने पेश करने हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी तलबाने पेश नहीं किये गये हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः भूमि आवटन आदेश दिनांक 15.12.2004 ग्राम बालाहेडा तहसील बसवा बहक अप्रार्थी ईश्वर पुत्र किशन्या, कन्हैया, गिराज, रामसिंह पि0 लहरी जाति कुम्हार निवासी बालाहेडा तहसील सिकराय के विरुद्ध प्रार्थीगण रामभरोसी, प्रकाश पुत्र माहेर चन्द, हरिमोहन पुत्र सुरज्या, कालूराम पुत्र सूरजमल, शिवराम पुत्र श्रीचन्द, जगराम पुत्र श्रीचन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) रा0ले0रे0एक्ट अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। </p> <div style="text-align: center;">  </div> <p align="right"> (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर, दौसा </p>	

